न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

अपील सं0 10/2021 धारा 21 पीसीपीएनडीटी एक्ट

1. कौशल्या मीना, मैहर हाईटेक अल्ट्रा सोनोग्राफी एण्ड रिसर्च सेंटर, जिला चिकित्सालय के सामने, लालसोट रोड, दौसा
2. डॉ0 शिवचरण मीना, निवासी मकान नंबर 62 ए, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस कालोनी, गुप्तेश्वर रोड दौसा

...अपीलांट्स

बनाम

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा

...रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध आदेश कमांकः 8964 दिनांक 29.12.2020 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा अंतर्गत पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 की धारा 21(2)

उपस्थित– 1. श्री प्रकाश मीना, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः 06.01.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने अपीलांट संख्या 01 की सोनोग्राफी की लाईसेंस आवेदन पत्रावली को दिनांक 29.12.2020 को निरस्त कर दिया। इसी आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा मूल अभिलेख व टिप्पणी प्राप्त की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी है कि अपीलांट संख्या 01 द्वारा मैहर हाईटेक अल्ट्रा सोनोग्राफी के नाम से पीसीपीएनडीटी के अंतर्गत सोनोग्राफी केन्द्र के पंजीकरण व लाईसेन्स हेतु रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में अपीलांट संख्या 02 जो कि वर्तमान में जिला चिकित्सालय दौसा के रेडियोलोजी विभाग में रेडियोलोजिस्ट के पद पर पदस्थापित है, को सोनोग्राफी कार्य करने हेतु अपीलांट संख्या 01 ने सोनोग्राफी मशीन संचालक के रूप में रखा गया। अपीलांट संख्या 01 ने रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में सोनोग्राफी के लाईसेन्स हेतु रेस्पोडैन्ट के कार्यालय में सोनोग्राफी के लाईसेन्स हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्रावली प्रस्तुत कर दिनांक 26.10.2020 को रेस्पोडेन्ट से रसीद प्राप्त की । आवेदन के साथ अपीलांट संख्या 01 ने अपेक्षित आवश्यक योग्यता के दस्तावेज सहित विहित रीति से पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन किया। अपीलांट संख्या 02 जो कि वर्तमान में जिला चिकित्सालय दौसा में रेडियोलोज़िस्ट पद पर कार्यरत है, जो पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियम 3(3)(1)(बी) के अंतर्गत सोनोग्राफी कार्य हेतु योग्य है। रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के आवेदन को बिना कोई जांच किये अपीलांट को बिना कोई अवसर दिये सरसरी तौर पर अपीलांट का आवेदन दिनांक 29.12.2020 को यह नोट अंकित करते हुए खारिज कर दिया कि अपीलांट संख्या 02 सोनोग्राफी करने के लिए योग्य नहीं है। इस कारण उक्त आवेदन पत्र नोन क्वालिफाईड लिखते हुए आवेदन पत्रावली को निरस्त कर दी गई। जब अपीलांट स0 01 द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन किया था, उस वक्त

उपखंड समुचित प्राधिकारी दौसा का पद रिक्त था, तब राज्य सरकार ने डॉ0 बी0के0बजाज प्रमुख विशेषज्ञ ई0एन0टी0 जिला चिकित्सालय दौसा को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। लेकिन उक्त विचाराधीन पत्रावली पर सुनने का अधिकार केवल मात्र उपखंड समुचित प्राधिकारी को ही था, कार्यवाहक को उक्त पत्रावली पर किसी भी प्रकार का कोई आदेश प्रदान करने का अधिकार नहीं था। फिर भी राज्य सरकार के निर्देशों एवं उच्चाधिकारियों की परवाह किये बिना कानून का उल्लंघन करते हुए गलत आदेश पारित कर दिया। अपीलांट द्वारा आवेदन फार्म ए दिनांक 26.10.2020 को प्राप्ति रसीद रेस्पोडेन्ट से प्राप्त की, किन्तु पत्रावली पर पूर्व से ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा श्री पूरण मल वर्मा द्वारा दिनांक 20.10.2020 को परियोजना निदेशक, पीसीपीएनडीटी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीआईपी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर से आवेदन करने से 5 दिन पूर्व ही समुचित प्राधिकारी दौसा द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया जो कि निरस्त योग्य है। निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर के आदेश कमांकःराजपत्रित/डीपीसी/2016/25 दिनांक 8.1.2016 का रेस्पोडेन्ट द्वारा उल्लंघन किये जाने से भी रेस्पोडेन्ट का आदेश निरस्तनीय है। अपीलांट संख्या 02 द्वारा एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर जो कि मान्यता प्राप्त राजकीय टीचिंग एवं ट्रेनिंग केन्द्र है तथा पीसीपीएनडीटी के प्रभाव के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन द्वारा 09 जनवरी 2014 एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त राजकीय चिकित्सा संस्थान है, से 21 माह का प्रशिक्षण रेडियोडाईग्नोसिस में प्राप्त कर निपुणता परीक्षा पास की है एवं आर0एम0सी0 जयपुर में अतिरिक्त योग्यता का रजिस्ट्रेशन कमांकः08 पर पंजीकरण करवाया है। परन्तु रेस्पोडेन्ट ने उक्त योग्यता प्रमाण पत्रों को ताक में रखते हुए अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 8.6.2013 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि जो चिकित्सक सरकारी चिकित्सालयों में सोनोग्राफी व रेडियोलोजी विभाग में पदस्थापित है, उनको प्रेक्टिस करने पर एन0पी0ए0 लेने या नहीं लेने का विकल्प दिया गया है। उक्त आदेश के अनुसार एन0पी0ए0 नहीं लिये जाने पर कार्यरत रेडियोलोजिस्ट अथवा सोनोलोजिस्ट बाहर निजी प्रक्टिस कर सकता है। राज्य सरकार के उक्त आदेश पर रेस्पो0 द्वारा कतई गौर नहीं किया जाकर अपीलांट का आवेदन निरस्त कर दिया। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार अपीलांट का प्रार्थना पत्र रेस्पो0 के कार्यालय मे दिनांक 15.10.2020 को प्राप्त हो चुका था, परन्तु ऑनलाईन प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा बाद मे डाला गया था, इस कारण से ऑनलाईन आवेदन पत्र की रसीद दिनांक 26.10.2020 को जारी की गई थी। पीसीपीएनडीटी अधिनियम के नियम 3(3)(1)(बी) में अपीलांट द्वारा बताई गई योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। अपीलांट संख्या 02 को जिला चिकित्सालय दौसा में निदेशालय के पत्रांकःराज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/एलए/मार्गदर्शन–18/2017/338 दिनांक 5.6.2017 के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी गई थी। निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर के आदेश कमांकःसंस्थान चि.अ./ए.टी./प.2/16/619 दिनांक 8.12.2016 द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त रेडियोडायग्नोसिस विषय के 21 माह के सर्टिफिकेट कोर्स फॉर स्पेशलाइजेशन दिनांक 9.3.2015 से 8.12.2016 तक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले चिकित्सकों को राज्य सलाहकार समिति की अनुशंषा के अनुसार सरकारी चिकित्सालयों पर चिकित्सकों की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कमी को देखते हुए जनहित में केवल सरकारी चिकित्सालयों पर ही सोनोग्राफी संचालन की अनुमति अग्रिम आदेशों तक दिये जाने के निर्देश दिये गये है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पूर्ण गहन जांच के उपरांत एवं निदेशालय के प्राप्त मार्गदर्शन क्रमांक:461 दिनांक 4.11.2020 के आधार पर ही पत्रावली को निरस्त किया गया है। राजस्थान राजपत्र दिनांक 24.4.2015 में उपखंड दौसा के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को उपखंड समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया था। अर्थात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, दौसा उपखंड के समस्त पीसीपीएनडीटी संबंधी समस्त कार्य करेगा। निदेशालय, चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा श्री बी0के0 बजाज को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर लगाया गया था। मैहर हाईटेक अल्ट्रा सोनोग्राफी एण्ड रिसर्च सेंटर दौसा की पत्रावली दिनांक 15.10.2020 को रेस्पो0 के कार्यालय में प्राप्त हो चुकी थी। अपीलांट द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रावली बाद में प्रस्तुत की गई थी, जिस कारण से ऑनलाईन आवेदन की रसीद दिनांक 26.10.2020 को दी गई थी। अपीलांट की मूल पत्रावली मय दस्तावेज दिनांक 15.10.2020 को प्राप्त हो गये थे, और तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा श्री पूरणमल वर्मा द्वारा निदेशालय को अपीलांट की योग्यता के संबंध मे मार्गदर्शन हेतु पत्र दिनांक 20.10.2020को नियमानुसार भिजवाया गया था। निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक:25 दिनांक 8.1.2016 में राज्य के समस्त सेवारत रेडियोलोजिस्ट (पी0जी0 डिग्री/डिप्लोमाधारी) चिकित्सकों को अस्पताल समय के अतिरिक्त निजी प्रेक्टिस (सोनोग्राफी/सी.टी.स्केन/एम.आर.आई. एवं अन्य रेडियोलोजी से संबंधित अन्य कार्य) हेतु शर्तों के अध्यधीन अनुमति प्रदान की गई है। इस आदेश में अपीलांट द्वारा बताई गई योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत की गई अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। पीसीपीएनडीटी एक्ट की धारा 21 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि "आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, अनुवांशिकी प्रयोगशाला या आनुवांशिकी क्लिनिक समुचित प्राधिकारी द्वारा धारा 20 के अध्यधीन पारित रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दीकरण के आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर अपील की जा सकेगी। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2020 को जारी किया गया है, जिसकी नियमानुसार अपील 28.01.2021 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, जो कि दिनांक 22.2.2021 को विलंब से प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि उपखंड समुचित प्राधिकारी दौसा द्वारा परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर से प्राप्त मार्गदर्शन दिनांक 4.11.2020 के आधार पर अपीलांट की आवेदन पत्रावली निरस्त की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांटस द्वारा रेस्पो0 के कार्यालय में मैहर हाईटेक अल्ट्रा सोनोग्राफी एंड रिसर्च सेंटर दौसा का पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन पत्रावली मय वांछित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया गया था। पत्रावली में संलग्न अपीलांट सं.02 श्री शिवचरण मीना के योग्यता से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। श्री मीना द्वारा सर्टीफिकेट कोर्स फोर स्पेशलाईजेशन इन रेडियोग्राफी में प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। जिसका राजस्थान मेडिकल काउंसिंल पंजीकरण किया हुआ है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट संख्या 2

को जरिये पत्रांकः 8687 दिनांक 10.10.2019 के द्वारा राजकीय जिला चिकित्सालय दौसा में सोनोग्राफी करने की अनुमति जारी की गई है। निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर के आदेश कमांकःराजपत्रित/डीपीसी/2016/25 दिनांक 08.01.2016 का अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि राज्य के समस्त सेवारत रेडियोलोजिस्ट (पीजी डिग्री/डिप्लोमाधारी) चिकित्सकों को अस्पताल समय के अतिरिक्त निजी प्रेक्टिस(सोनोग्राफी/सिटी स्केन/एम.आर.आई. एवं रेडियोलोजी से संबंधित अन्य कार्य) हेतु नियत शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की गई है। दिनांक 13.8.2020 को ही उपखंड समुचित प्राधिकारी सिकराय (श्री मुकेश कुमार सिरोवा जिला क्षय रोग अधिकारी दौसा) द्वारा श्रीराम सोनोग्राफी सेंटर, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा को डॉ0 श्रीप्रकाश मीना जो कि राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकराय में चिकित्सक के पद पर पदस्थापित है, को निजी संस्थान में प्रेक्टिस करने की अनुमति जारी की गई है। परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर के मार्गदर्शन दिनांक 4.11.2021 का अवलोकन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा द्वारा प्रस्तुत मार्गदर्शन पत्र दिनांक 4.11.2020 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक में विरोधाभास प्रदर्शित हो रहा है। मार्गदर्शन पत्र दिनांक 4.11.2020 को पूर्णतया सही नहीं माना जा सकता है। निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर का पत्र कमांकःराजपत्रित/डीपीसी/2016/25 दिनांक 08.01.2016 के द्वारा राज्य के समस्त सेवारत रेडियोलोजिस्ट (पीजी डिग्री/डिप्लोमाधारी) चिकित्सकों को अस्पताल समय के अतिरिक्त निजी प्रेक्टिस (सोनोग्राफी/सी0टी0स्केन/एम.आर.आई. एवं रेडियोलोजी से संबंधित अन्य कार्य हेतु) शर्तों के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार राज्य सरकार के प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में हम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वारूथ्य अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट को इस आशय से प्रतिप्रषित किया जाता है कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में अपीलांटस द्वारा उठाई गई आपत्तियो एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर राज्य सरकार के जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा